

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक प.7(66)परि / नियम / मु. / 2020 / पार्ट 2 / 23304

जयपुर, दिनांक: 27-9-2022

कार्यालय आदेश...15.. / 2022

विषय:- वाहनों की फ्रंट फैसिंग रियर सीट पर सीट बेल्ट लगाये जाने की पालना किये जाने के संबंध में।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125 (1) में मोटर साईकिल और तिपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सभी मोटर वाहनों में अगली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट लगाये जाने के प्रावधान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125(1)(क) में यात्रियों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले एम 1 श्रेणी के वाहनों (चालक की सीट के अतिरिक्त 8 से अनधिक क्षमता के यात्री वाहन) में अगली सीट पर बैठे व्यक्ति के अतिरिक्त फ्रंट फैसिंग रियर सीटों पर बैठे सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाया जाना विर्निदिष्ट किया गया है। अतः वाहन चालकों एवं यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि प्रावधानों के अनुरूप सीट बेल्ट लगाए एवं वाहनों में सीट कवर लगाते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सीट कवर के कारण सीट बेल्ट को लॉक करने एवं लॉक हटाने में बाधा नहीं पहुंचे।

अतः समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के उक्त नियमों की पूर्ण पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें एवं उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 B के अन्तर्गत कार्यवाही कर, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125(1)(क) की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

4674

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा

क्रमांक प.7(66)परि / नियम / मु. / 2020 / पार्ट 2 / 23305-312

जयपुर, दिनांक: 27-9-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात)।
5. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण / प्रादेशिक / अतिरिक्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट एवं तकनीकी निदेशक, एनआईसी।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)